<u>आदेश</u>

<u>दिनांक ०१/०१/२०१९,</u>

अभियुक्तगण गुल मोहम्मद, कल्लू उर्फ कलीमुददीन, शकरूददीन, इकराम की ओर से वाद सं०–४३१/१८, मु0 अ0 सं0–३४५/१८, राज्य बनाम गुल मौहम्मद आदि, धारा–४५२, ३२३, ३२४, ५०४ भा0 दं0 सं0, थाना जरीफनगर, जनपद बदायूँ में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण आत्मसर्मपण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर अपनी बहस में कहा गया है कि प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें में रंजीशन व पेशबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई घटना या अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर गम्भीर उपहति कारित की गयी है तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रेषित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित ११–१२–२०१८ के अनुपालन में अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज ही निस्तारण पर बल दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं गैर जमानतीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण गुल मोहम्मद, कल्लू उर्फ कलीमुददीन, शकरूददीन, इकराम का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रभारी अपर न्यायिक मजि0
सहसवान, जनपद बदायूँ।